राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टीफिकेशन संख्या– 56/2014/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर .....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड,
25, ट्रांसपोर्ट नगर, देहली बाईपास रोड़, जयपुर .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.वैद
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रार्थी विभाग की ओर से

श्री विवेक सिंघल, अधिवक्ता ..... अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.01.2017

निर्णय

1. प्रार्थी–विभाग द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2239/2008/जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 30.12.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 78(5) के तहत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.08.2000 में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 27.07.2000 को वाहन संख्या आरजे–23/जी–142 को अहमदाबाद उदयपुर रोड़ पर चैक किया गया। वाहन में परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगने पर वाहन/माल प्रभारी द्वारा पटेल रोड़वेज लिमिटेड की जी.आर नं0 3523366 दिनांक 20.07.2000, इनवाईस नं. 401686, 401668, 401671 एवं 401709 दिनांक 20.07.2000 तथा घोषणा पत्र एस.टी.18ए नम्बर 50396/1 प्रस्तुत किये, जिनके अनुसार माल का भिवण्डी (मुम्बई) से जयपुर स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर घोषणा पत्र एस.टी.18ए को पुनः काम में लिया जाना मानकर अधिनियम की धारा 78(5) के अंतर्गत परिवहनित माल की कीमत रूपये 2,41,447/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 72,435/– आरोपित की गयी। प्रार्थी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर के आदेश दिनांक 27.02.2008 से स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति रूपये 72,435/– अपास्त की गयी। उपायुक्त

लगातार 2

(अपील्स) के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 2239/2008/जयपुर माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 30.12.2013 द्वारा अस्वीकार की गयी है। प्रार्थी विभाग ने उक्त आदेश को संशोधित किये जाने हेतु यह परिशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया है।

3. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कथन है कि उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर के अपील संख्या 175/अपील्स–II/आरएसटी/जयपुर/बी/2007–08 निर्णय दिनांक 27.02.2008 द्वारा व्यवसायी की अपील स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी थी। सशक्त अधिकारी द्वारा माल मालिक पर शास्ति आरोपित की गई थी, जिसे विधिसम्मत नहीं मानते हुए माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील अस्वीकार की गई थी। इस संदर्भ में उन्होंने कथन किया कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व में भी मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स के निर्णय के परिपेक्ष्य में माल प्रभारी पर भी शास्ति आरोपणीय है। अतः विभाग का परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि कर बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 उचित है। अतः उन्होंने आदेश दिनांक 30.12.2013 को उचित बतलाते हुये विभाग द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एंव रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विभाग द्वारा प्रस्तुत रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र से पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 का स्वरूप ही बदल जाता है। धारा 33 की परिधि सीमित है, जिसमें केवल लिपिकीय/टंकण त्रुटि ही संशोधनीय है, निर्णय का पुनरावलोकन इस धारा के तहत अनुज्ञेय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र (रेक्टीफिकेशन) को अस्वीकार किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष